अनुसूचित जनजातियों की कल्याण-नीति

हर्ष चौहान

संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य का ध्यान रखा कि देश में कुछ समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर बेहद पिछड़े हैं। उनके मुताबिक, इसके लिए आधुनिक तरीके से खेती नहीं होना, आधारभूत संरचना से जुड़ी सुविधाओं की कमी और भौगोलिक अलगाव जैसी वजहें ज़िम्मेदार थीं। इन समुदायों की उन्नति के लिए भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके तहत, शैक्षणिक संस्थानों, रोज़गार और सरकारी निकायों में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के मुताबिक, अनुसूचित जनजाति का मतलब, ''ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों से है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 में मान्यता दी गई है।''[1] अनुसूचित जनजाति को 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अधिसूचित किया गया है और इससे जुड़ी अधिसूचना के मुताबिक, जनजातियों की कुल संख्या 705 है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में जनजातीय समुदाय की आबादी 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति समुदाय की कुल आबादी का 89.97 प्रतिशत हिस्सा गाँवों और 10.03 प्रतिशत हिस्सा शहरों में रहता है।

अँग्रेज़ी शासन से पहले अनुसूचित जनजाति को अपनी शासन प्रणाली और जीवनशैली के लिए पूरी स्वतंत्रता हासिल थी। ब्रिटिश शासन के दौरान, अनुसूचित जनजाति को उपहास के नज़रिये से देखा जाने लगा और उन्हें अपने पुश्तैनी अधिकारों से वंचित करने के लिए कई कानून लाए गए। साथ ही, अधिकारों की माँग करने पर उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ खास उपाय किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 के मुताबिक, ''राज्य कमज़ोर और वंचित तबकों, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और अन्य तरह के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।''[1] इसी तरह, अनुच्छेद 15 और 16 के तहत, सरकार को अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा, संसद ने अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निरोधक) कानून, 1989 पास किया है। इसका मकसद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार और अपराधों को रोकना और पीड़ितों को राहत और पुनर्वास मुहैया कराना है।[2] अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2006 के तहत, अनुसूचित जनजाति के लोगों को मान्यता देने के साथ-साथ उनके वन अधिकारों और जंगल की ज़मीन पर स्वामित्व को भी स्वीकार किया गया है।[3]

अनुसूचित जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा ज़रूरी है और नियोजन की प्रक्रिया में इस समुदाय का विशेष ध्यान

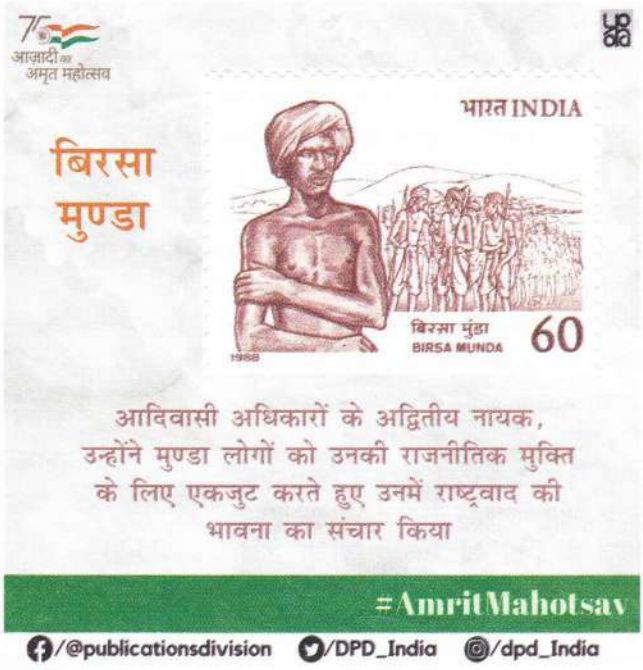

लेखक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ईमेल: chairperson@ncst.nic.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध और शोषण की रोकथाम करता है।

रखा जाता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया, जो इस समुदाय के अधिकारों के संरक्षक और थिंकटैंक की तरह काम करता है। जनजातीय समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए अलग-अलग संस्थानों की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत इसका गठन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष को केंद्र के कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल होता है, जबकि सदस्यों का दर्जा भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। इस आयोग का दिल्ली में स्थायी सचिवालय है, जबकि देशभर में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके पास व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) का अधिकार भी है। आम तौर पर, जनजातीय समुदाय के लोग हितग्राही नहीं होते हैं, बल्कि वे अपरमार्थी यानी परोपकारी स्वभाव के होते हैं। जनजातीय समुदाय के लोग निजी फायदे के बजाय समुदाय के हितों को तवज्जो देते हैं। इस समुदाय के पास ज्ञान और संसाधनों का खजाना है। हालांकि, अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जनजातीय समुदाय की काफी उपेक्षा हुई है और उनका पिछड़ापन और अन्य समस्याएँ इसी का नतीजा हैं।

भारत में जनजातीय समुदाय की समस्याएँ बिल्कुल अलग तरह की हैं। दरअसल, अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी सांस्कृतिक विशेषताएँ और मूल्य अलग-अलग हैं। वे जहाँ भी रहते हैं, वहाँ आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिकीय संतुलन भी सुनिश्चित करते हैं, जिसे आधुनिक दुनिया में सतत विकास के तौर पर जाना जाता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कुछ विशेष ज़रूरतों की पहचान की गई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग की ज़िम्मेदारियाँ कुछ इस तरह हैं:

- अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध कराए गए सुरक्षा प्रावधानों से जुड़े सभी मामलों की जाँच कर उन पर नज़र रखना;
- अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की जाँच करना;
- अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े नियोजन की प्रकिया में भागीदारी सुनिश्चित करना और ज़रूरी सलाह देना। साथ ही, संघ और किसी भी राज्य में जनजातीय समुदाय के विकास का मूल्याँकन करना;
- अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुझाव पेश करना, ताकि केंद्र या राज्य सरकार इन सुझावों पर प्रभावी तरीके से काम कर सके;
- अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा, कल्याण और विकास के मकसद से अन्य ज़िम्मेदारियों को पूरा करना और
- समुदाय की सुरक्षा और हितों के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सालाना आधार पर और ज़रूरत के हिसाब से राष्ट्रपति को अवगत कराना। अनुसूचित जनजाति से जुड़े सभी प्रमुख नीतिगत विषयों में केंद्र और राज्य सरकारें आयोग से सलाह-मशवरा करेंगी।

आयोग के खंड 5 के उप-खंड (ए) और उपखंड (बी) से जुड़ी शिकायतों की जाँच करते समय आयोग के पास व्यवहार न्यायालय का अधिकार होगा और वह इन कार्यों के लिए भी अधिकृत है:

- देश के किसी भी हिस्से से किसी भी शख्स को तलब करना और आधिकारिक तौर पर उसका बयान लेना
- ज़रूरत पड़ने पर किसी भी दस्तावेज़ को ढूंढना और उसे तैयार करना
- हलफनामा के ज़रिये प्रमाण प्राप्त करना;
- किसी अदालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड या कॉपी माँगना;
- गवाहों और दस्तावेज़ों की जाँच के लिए संबद्ध सूचना जारी करना;
- अन्य मामले जिनके बारे में नियमों के आधार पर राष्ट्रपति फैसला कर सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 338ए के खंड 9 के मुताबिक, ''अनुसूचित जनजाति से जुड़े सभी नीतिगत मामलों में केंद्र और राज्य सरकारें आयोग से सलाह-मशवरा करेंगी।''[5]

संविधान के अनुच्छेद 46 के मुताबिक, ''राज्य कमज़ोर और वंचित तबकों, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और अन्य तरह के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।''

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नीति कार्यान्वयन और जाँच को लेकर 10 क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें जनजातीय समुदाय से जुड़ी मुख्य चिंताओं को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में, वन अधिकार (सीएफआर और पीईएसए)[6], आरएँडआर[7], खनन से जुड़े मुद्दे (डीएमएफ और एमएमडीआरआर)[8],

वित्तीय मामले और विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, अत्याचार, शिकायत, समावेशन और बहिष्करण, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कानूनी और संवैधानिक मुद्दे एवं कल्याणकारी योजनाओं में अनुसूचित जनजाति से जुड़े पहलू शामिल हैं। आयोग इन 10 क्षेत्रों के दायरे में 'शिकायत निपटारा और नियोजन' इकाई के तौर पर काम करता है। आयोग को संविधान के अनुच्छेद 5(ए) और (बी) के तहत, शिकायतों का निपटारा करने का अधिकार है, जबकि (सी) और (ई) के तहत इसे नियोजन की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए अधिकार दिए गए हैं।[5]

जनजातीय समुदाय से जुड़ी योजनाओं का नियोजन और प्रभावकारी कार्यान्वयन ज़रूरी है, ताकि यह समुदाय अपनी संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल कर सके। भारत के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के मुताबिक, आयोग नियोजन की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग संवाद शृंखला के तहत जनजातीय समुदाय से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर नियमित रूप से संबंधित पक्षों के साथ सलाह-मशवरा करता है। विचार-विमर्श की इस प्रक्रिया से आयोग को बेहतर समाधान ढूंढने में मदद मिलती है।

शिकायतों का निपटारा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक संवैधानिक इकाई के तौर पर भारत में अनुसूचित जनजाति की बेहतरी और उनके अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। आयोग को लोगों, सिविल सोसायटी और गैर-सरकारी संगठनों से अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस समुदाय के लोगों पर होने वाले अत्याचारों, शोषण और सामाजिक अन्याय के मामले को उठाता है। ऐसे मामलों पर आयोग संज्ञान लेता है और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया में आयोग को राज्य या शासन प्रणाली की हर इकाई से सहयोग मिलता है। दूर-दराज़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए, आयोग के सदस्य देश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा करते हैं। इसके तहत, जनजातीय समुदाय के लोगों को अपनी-अपनी जगहों पर ही शिकायतों का निपटारा करने का मौका मिलता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ई-पोर्टल www.ncstgrams.gov.in भी शुरू किया है, जिस पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। हमारे देश के संविधान निर्माताओं को इस बात की जानकारी थी कि जनजातीय समुदाय की अपनी खास जीवनशैली है, लिहाज़ा उन्होंने इस समुदाय के लिए देश के राष्ट्रपति को विशेष ज़िम्मेदारी सौंपी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अपनी सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी होती है।

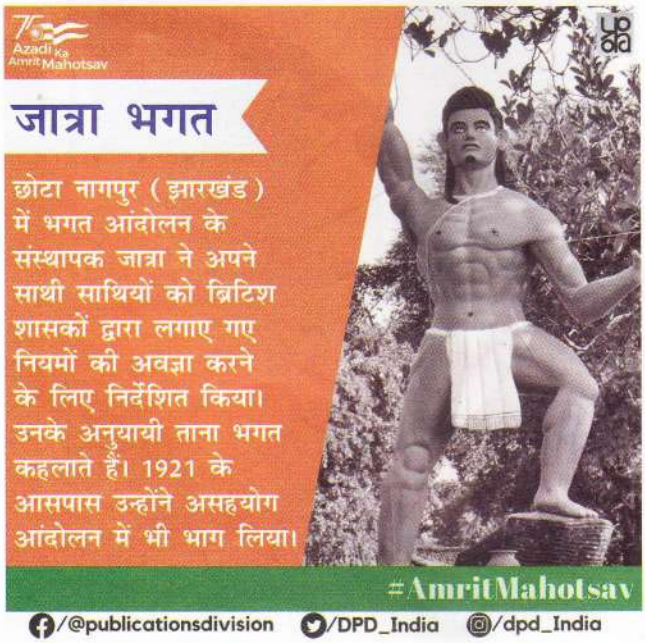

नियोजन

जनजातीय समुदाय से जुड़ी योजनाओं का नियोजन और प्रभावकारी कार्यान्वयन ज़रूरी है, ताकि यह समुदाय अपनी संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल कर सके। भारत के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के मुताबिक, आयोग नियोजन की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग संवाद शृंखला के तहत जनजातीय समुदाय से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर नियमित रूप से संबंधित पक्षों के साथ सलाह-मशवरा करता है। विचार-विमर्श की इस प्रक्रिया से आयोग को बेहतर समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि भूमंडलीकरण, आधुनिकीकरण और अलग-अलग संस्कृतियों के असर से जनजातीय समुदाय में भी बदलाव हुआ है। इन अध्ययनों के मुताबिक, भारत में जनजातीय समुदाय के जीवन और संस्कृति के बुनियादी सिद्धांत इन मूल्यों पर आधारित हैं:

1. प्रकृति के साथ तादात्मय; शरीर, मन और आत्मा से उसके साथ जुड़ाव।
2. सहअस्तित्व, सौहार्द और अन्य जीवधारियों के साथ सहअस्तित्व।
3. सामूहिक जीवन या सामूहिक अस्तित्व और 'साझा करने' का सिद्धांत- भोजन, ज़मीन और वन संसाधनों को साझा करना, जैसे कि शिकार करने के बाद शिकार को साझा करना, बीज, श्रम और मेहनत साझा करना, जंगल और पहाड़ों में संकटों और ज़ोखिम का मिल-जुल कर सामना करना आदि।
4. निजी संपत्ति इकट्ठा नहीं करना यानी पर्यावरण के अनुकूल और सादा जीवन।
5. संयम रखना और निर्लिप्त भाव से विवादों का निपटारा करना। जनजातीय समुदाय के लोग कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं। इसके बजाय वे पीछे हट जाते हैं और विवादों को नज़रअंदाज़ करते हैं। ■

संदर्भ

1. https://dopt.gov.in/sites/default/files/ch-11.pdf
2. https://tribal.nic.in/actRules/preventionofAtricities.pdf
3. https://tribal.nic.in/FRA/data/FRARulesBook.pdf
4. https://ncst.nic.in/sites/default/files/2021/document/NCST%20Pamphlet%20english
5. https://ncst.nic.in/content/functions-and-duties-commissions/
6. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1796220
7. https://dolr.gov.in/sites/default/files/National%20Rehabilitation%20%26%20Resettlement%20Policy%2C%202007.pdf
8. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=154462